REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 10 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2021

वैश्विक महामारी कोविड 19 और महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य दशायें : एक विश्लेषण

अमित सचान
एसो0 प्रोफेसर, भूगोल विभाग,
पं0सुन्दरलाल मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कन्नौज (उ0प्र0)

प्रस्तावना :

मानव ने अपने ज्ञान के विकास को उस ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया, जहाँ हम दूसरे ग्रहों में जीवन की संभावनाओं को तलाशने लगे। प्रकृति के हर दिये गये अनमोल उपहार को दक्षतापूर्वक एवं विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग में लाने की बजाये, उस पर बलपूर्वक, अधिकतम लाभ की आशा में, उस पर पूर्ण अधिकार मानते हुए, मनमाने ढंग से उपयोग में लाने लगे। इसी ज्ञान की अधिकता ने, मानव ने मानव का, एक देश को दूसरे देश का प्रतिस्पर्धी बना दिया। इस अंतहीन प्रतिस्पर्धा का परिणाम यह हुआ कि संसाधनों को अपने अधिकार में लेने की चेष्टा में, हम मानव सभ्यता को क्षण भर में विनाश कर देने वाले अणु परमाणु मिसाइलों का निर्माण करने लगे और यहीं तक नहीं, अपनी इसी कुशलता को पाकर एक देश दूसरे देश पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने में लग गया। शक्ति प्रदर्शन की इस यात्रा का अंत यहीं नहीं होता, बलशाली देशों ने अपने को और बलवान बनाने के लिए जैविक और रासायनिक हथियारों को विकसित करने की प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ कर दी।

परिणामस्वरूप,कई शक्तिशालो देश रासायनिक और जैविक हथियारों से सम्पन्न हो गये। इसी प्रक्रिया में मानव द्वारा भूलवश या जानबूझकर किये गये कृत्य का परिणाम कोविड–19 वैश्विक महामारी के रूप में सामने आ रहा है। इससे पूर्व भी विश्व के विभिन्न भागों में महामारियां अपना दुष्प्रभाव डालकर मानव जीवन को अस्तव्यस्त करती रही है किन्तु इस महामारी का प्रभाव क्षेत्र एवं संक्रमणशीलता इतनी अधिक है कि सम्पूर्ण विश्व अब तक इसकी चपेट में आ चुका है। इसके चलते एक देश दूसरे देश की सहायतार्थ कुछ अधिक कर पाने की स्थिति में नहीं है। कोविड–19 महामारी ने अपनी व्यापकता के कारण वैश्विक समुदाय के जीवन के सभी क्षेत्रों में इस प्रकार प्रभाव डाला है कि, मानव अपने जीवन जीने की विधा एवं जीवन मूल्यों के मापदण्डों पर पुनः चिन्तन करने के लिए मजबूर हो गया है। भारत जैसा विकासशील देश, जो कि महामारी से पूर्व ही विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक एवं जनसांख्यिकीय समस्याओं से संघर्ष कर रहा था, महामारी के इस गंभीर समय में सभी प्रकार की समस्याओं के आयाम में तेजी से वृद्धि हो गयी है।

प्रस्तुत शोध पत्र, इस वैश्विक महामारी के कारण, महिलाओं की प्रजनन एवं मात्र स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में आने वाले व्यवधान एवं लॉकडाउन जनित अन्य प्रजननिक स्वास्थ्य समस्याओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत शोध पत्र में प्रासंगिक आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, विभिन्न देशों से प्राप्त

जनसांख्यिकीय एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुभवों एवं विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की विषयगत रिपोर्टों के आधार पर भारत में प्रजननिक स्वास्थ्य का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

भारत में मार्च 2020 के तीसरे सप्ताह में, महामारी की संक्रमणीय क्षमता को देखते हुये, सुरक्षा की दृष्टि से लॉकडाउन की व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया। भारतीय सरकार ने अपने आर्थिक हितो से समझौता करते हुए अन्य सभी कार्यक्रमों पर स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं को प्राथमिकता देने का निश्चय करते हुये एवं तद्नुसार ताला बन्दी क्रियान्वित की गयी। ये सभी स्वास्थ्य सेवायें पूर्ण रूप से महामारी नियंत्रण एवं निदान प्रदान करने के लिए उन्मुख थी। एक देश, जो पहले से ही प्रजननिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में असमानताएं प्रदर्शित करता आया है, में वर्तमान परिदृश्य और भी गंभीर परिणाम ला सकता है। इससे पूर्व भी इबोला, MERS (Middle East Respiratory Syndrome) और सार्स (Seveare AccutcRespiratory Syndrome Respi) के संक्रमण के समय मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवायें बुरी तरह प्रभावित हुयी थी, और परिणामस्वरूप मातृ एवं शिशुओं के जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो गया था।

प्रजनन स्वास्थ की संकल्पना

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य का आशय यह कि कोई भी स्त्री अपने प्रजनन गुणों के संदर्भ में शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक एवं सामाजिक रूप से अपने आपको सुरक्षित और बेहतर महसूस करती हो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एवं उत्तम प्रजननिक स्वास्थ्य वाले समाज की संकल्पना तब साकार हो सकती है, जब प्रजननिक स्वास्थ्य नीतियों में यौन शिक्षा, यौन स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण हेतु स्वास्थ्य सेवाओं की आसान पहुँच, यौन सक्रियाओं हेतु मिथक विहीन, सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर परिवेश का सृजन, यौन रोगों से निवारण हेतु आधारभूत स्वास्थ्य ढांचा, किशोरियों एवं विवाह योग्य उम्र समूह की स्त्रियों को सही यौन सम्बन्धी जानकारियों एवं परिवार नियोजन सम्बन्धी सलाह हेतु सुदढ़ सहायता तंत्र, प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और जन्म के पश्चात स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक संबल हेतु स्वास्थ्य सहायता तंत्र आदि को उचित स्थान और महत्व दिया जाये। यौन हिंसा, घरेलू हिंसा एवं स्त्रियों की सामाजिक निर्बल स्थिति जैसे गंभीर मुद्दे भी स्त्री के प्रजनन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ऐसे में आवश्यक है कि विभिन्न सामाजिक एवं सरकारी संगठनीय तंत्र के माध्यम से इस प्रकार के अवांछित कृत्यों पर रोकथाम की जा सकें।

भारत में महिलाओं का कार्यक्षेत्र एवं प्रजनन स्वास्थ

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2017–18 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलायें 17% श्रम हिस्सेदारी रखती हैं यद्यपि यह प्रतिशत 2004–05 में 29% था। इसका आशय यह हुआ कि प्रत्येक पांचवीं महिला श्रम बाजार में अपना योगदान दे रही है, जबकि ज्यादातर महिलायें घरेलू कार्यों में संलग्न हैं। एल0एम0 डेविस (2015) के अध्ययन में पाया गया निम्न आय वाले समुदायों में महिलाओं का रोजगार युक्त होना उनकी स्वायत्तता एवं स्वास्थ्य दशाओं में सकारात्मक भूमिका निभाता है। सी0एच0 रोका एवं अन्य (2009) ने अपने अध्ययन में पाया कि निम्न शिक्षित एवं निम्न स्तर के रोजगार वाली महिलाओं में अपनी प्राजननिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित जानकारी के सन्दर्भ में अन्य घरेलू निम्न शिक्षित महिलाओं से कोई अलगाव प्रदर्शित नहीं होता है। महामारी के इस काल में हर स्त्री चाहे वह घरेलू कार्य से सम्बन्धित रही हो या बाह्य कार्यों से, उसे मनोवैज्ञानिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा ह। लॉकडाउन की अवधि में घरेलू एवं कार्यशील महिलाओं के कार्यवृत्त में बड़ा परिवर्तन आया, परिवारों की जनसांख्यिकीय में परिवर्तन अचानक हुये उत्क्रम प्रवास से आना स्वाभाविक था, एकाकी परिवारों एवं संयुक्त परिवारों में अचानक हुये परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभाव परिवार की स्त्रियों पर पड़ा। परिवार में उनकी बदली भूमिका एवं उत्तरदायित्व का प्रभाव उसके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप स्त्रियों का प्रजननिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा।

सैनिटरी नैपकिन, गर्भ निरोधकों एवं अन्य सम्बन्धित उत्पादों को आवश्यक वस्तुओं के तहत सूचीबद्ध न किये जाने के कारण, इन उत्पादों की आपूर्ति बाधित हो गयी, जो कि बदली हुयी परिस्थितियों में सामान्य परिस्थितियों की अपेक्षा ज्यादा आवश्यक थी। परिणामस्वरूप लॉकडाउन की अवधि मे महिलायें कोविड–19 के भय से ही नहीं लड़ रहीं थी, बल्कि अचानक परिवर्तित हुये परिवेश से भी संघर्ष करना पड़ रहा है। W.H.O. (2014) के आकलन के अनुसार विश्व की कुल अवांछित गर्भ धारण में भारत 17.1% के साथ विश्व में प्रथम

स्थान पर है यह तब और दुर्भाग्यपूर्ण है जबकि भारत में आधुनिक गर्भनिरोधकों की व्यापकता 55.1% (Modern Cortraceptive Prevalance Rate) है। संयुक्त राष्ट्र संघ, 2015 के अनुसार ऐसी स्थिति एवं अभावपूर्ण गर्भ निरोधकों एवं अन्य प्रजनन आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा देश को पुनः दशकों पीछे वाली स्थिति में ले जा सकती है। भारत देश गावों में बसता है। ग्रामीण महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्यतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रो, आशा कार्यकत्रियों एवं जिला अस्पतालों के द्वारा होती है, वर्तमान समय में ये सभी स्वास्थ्य उपक्रम कोरोना महामारी प्रबन्धन में व्यस्त हैं। आपूर्ति शून्यता की स्थिति का परिणाम अवांछित जन्म के रूप में निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। बहुसंख्यक ग्राम प्रवास, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था भी बढ़ते जन्म दर मे उत्प्रेरक का कार्य करेंगें। विगत समय में किये गये जन्मदर से सम्बन्धित शोध इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि बेराजगारी एवं गरीबी का उत्पादकता के साथ धनात्मक सहचर्य सम्बन्ध है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि यह महामारी का कठिन समय, जीवन रक्षक प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को छिन्न भिन्न कर देगा, जिसका परिणाम घातक होगा। मानवाधिकार संस्था (Human Right Watch) ने भी सावधान करते हुए कहा है कि, वर्तमान आपात स्थितियां गर्भपात सेवाओं और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करेंगी, इसी को दृष्टिगत रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गर्भपात सेवाओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की सूची में रखने की सलाह दो है। भारत में गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया गया कि गर्भवती स्त्री और उसके परिवार को बेहतर प्रजनन अधिकारों को प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो, साथ ही प्राप्त विकल्पों का प्रयोग लैंगिक चयन की रूग्ण मानसिकता के लिये न किया जा सके। वर्तमान महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में संशोधित गर्भपात अधिनियम 2020, में पुनः शिथिलिता दिये जाने एवं पुर्नाविलोकन की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। गर्भपात एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवायें समयाबद्ध सेवाएं हैं, इसी तथ्य को स्वीकार करते हुये दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में केन्द्र एवं राज्य सरकार को आदेशित किया कि किसी भी परिस्थिति में मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये एवं इतना ही नहीं, इनका व्यापक प्रचार प्रसार विभिन्न मीडिया संसाधनों से कराया जाये।

तालाबंदी खत्म होने के बाद भी कुछ प्रतिबंध जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, आवागमन की सीमित सक्रियता, स्वास्थ्य सुविधाओं में बोझ आदि लम्बे समय तक बने रहेंगें, ऐसे में आवश्यक है कि महामारी आपदा प्रबन्धन नीति में ही प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को भी समाविष्ट किया जाना चाहिये।

कोविड 19 तालाबंदी और घरेलू हिंसा

महामारी के इस समय में मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में बाधा के अलावा एक अन्य संकट, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा में वृद्धि भी देखने को मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा ह कि ''हिंसा महज रणक्षेत्र तक सीमित नहीं है और कई महिलाओं एवं लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब उन्हें अपने घरों में सबसे सुरक्षित होना चाहिए।'' इस प्रकार की घरेलू हिंसा की घटनाएं विकसित एवं विकासशील देशों दोनों में देखने को मिलतो है, ज्यादातर घटनायें मनोवैज्ञानिक अवसाद का परिणाम हैं। विश्वव्यापी तालाबंदी ने मानसिक अवसाद बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य किया है। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में 25 % महिलायें यौन हिंसा या घरेलू हिंसा का सामना कर रही हैं, वहीं सब सहारन अफ्रीका में 65 %महिलाओ के साथ यह सच्चाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार कोविड – 19 महामारी शुरू होने के बाद से लेबनान और मलेशिया में घरेलू हिंसा के लिए स्थापित हेल्पलाइन में आने वाली कालों की संख्या दोगुनी हो गयी है जबकि चीन में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। आस्ट्रेलिया जैसे देश में गूगल सर्च इंजन पर घरेलू हिंसा से संबंधी मदद के लिए पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक जानकारी खोजी गयी है। इस प्रकार उन देशों में घरेलू हिंसा की तीव्रता को आसानी से आंकलित किया जा सकता है, जहाँ रिर्पोटिंग प्रणाली बेहतर है, जबकि कमजोर संस्थागत ढांचे एवं शिथिल रिपोर्टिग प्रणाली वाले देशों में कोविड महामारी के दौरान इस प्रकार की घटनाओं के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विश्व के लगभग सभी देशों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संस्थायें एवं सुरक्षा सेवा प्रदाता संस्थायें महामारी प्रकोप के कारण पहले से ही अतिरिक्त दबाव में हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार

कोविड 19 लॉकडाउन में यौन हिंसा व घरेलू हिंसा में अचानक वृद्धि देखने को मिली है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा के अनुसार न केवल घरेलू हिंसा सम्बन्धी शिकायतों में वृद्धि हो रही है, बल्कि शिकायतों की प्रकृति सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी अलग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक विश्लेषण यह इंगित करता है कि महिलाओं के शारीरिक यौन प्रजनन एवं मानसिक स्वास्थ्य पर घरेलू हिंसा और यौन हिंसा का गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं में गर्भपात एवं मानसिक अवसाद में घिरने की प्रायिकता बढ़ जाती है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्वायत्तता सम्बन्धी निर्बल स्थिति हमेशा से इस प्रकार के लैंगिक अपराध का प्रमुख कारण रहीं हैं, ऐसे में इस समय इन अपराधों की वृद्धि जब महिलायें घरों से बाहर आकर मदद पाने में भी असमर्थ हों, अत्यन्त चिंतनीय है।

भारत सरकार जो कि सतत रूप से परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करके उच्च स्तरीय बाल एवं स्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य दशायें प्राप्त करने हेतु कटिबद्ध है, को कोरोना काल के इस कठिन समय में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- आवश्यक प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को कोरोना महामारी से लड़ने की अपनी रणनीति का हिस्स बनाकर, विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संगठनों की मदद से व्यापक प्रचार करना चाहिए।
- कोरोना हेल्पलाइन के समानान्तर महिला प्रजनन स्वास्थ्य हेल्पलाइन को व्यापक प्रचार प्रसार के साथ स्थापित किया जाना चाहिए।
- आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं आशा बहुओं द्वारा घर–घर पहुँच कर आवश्यक जानकारी, सेवायें एवं सलाह इस प्रकार पहुँचाने की रणनीति विकसित करनी होगी, जिसमें वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहते हुए सेवाओं को प्रदान किया जा सके।
- महामारी के इस संकट काल में प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर फैली भ्रामक सूचनायें, मिथम और अंधविश्वास के विरूद्ध शासन को जागरूकता अभियान चलाये जाने की महती आवश्यकता है।
- ऐसी स्वास्थ्य सेवा किट, जिससे अवांछित गर्भधारण, गर्भवती महिलाओं हेतु पूरक आहार एवं आवश्यक दवा हो, का वितरण राशन वितरण केन्द्रों के माध्यम से कराये जाने की रणनीति पर विचार किया जा सकता है।
- गर्भपात सम्बन्धी कानून में सम्यक विचार करने की आवश्यकता है।
- घरेलू हिंसा जैसे अपराधों की रोकथाम हतु राष्ट्रीय महिला आयोग एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा आपसी सांमजस्य से वृहद कार्य योजना विकसित की जानी चाहिए, साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग को राज्य महिला आयोग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

महामारी संक्रमण के इस काल में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को उसी प्रकार नजर अंदाज नही किया जा सकता जिस प्रकार से कोविड 19 के संक्रमण काल को; आशा की जाती है कि कोविड 19 संक्रमण से बचाव हेतु वैक्सीन निकट भविष्य में तैयार कर ली जायेगी लेकिन किसी देश की महिलाओं के प्रजननिक स्वास्थ्य एवं उनके अधिकारों का वंचन, निसंदेह उस देश को अंधकारमय भविष्य की ओर ले जाता है।

संदर्भ सूची

Ahmed Y Abdelbadee, Ahmed M Abbas "Impact of COVID-19 on reproductive health and maternity services in low resource countries". Europian Journal of Contraceptive Reproductive Health Care. 2020 Oct; 25(5):402-404.

Balachandar, V., Mahalaxmi, I., Subramaniam, M., Kaavya, J., Senthil Kumar, N., Laldinmawii, (2020). "Follow-up studies in COVID-19 recovered patients – Is it mandatory?" Science of the Total Environment, 729-741

Ben Bellows, Shobha Gudi. "Bridging critical gaps in sexual and reproductive health services during Covid-19" Economic Times, Health World October 19, 2020.

Duan L, Zhu G. "Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic". The Lancet Psychiatry. 2020; 7(4):300-2.

Kranti SV, Saiyed S, Kumar SN. "Impact of Covid 19 on Family Planning Services in India" Sexual and Reproductive Health Matters. Volume 28, 2020-issue 1.

Sanghmitra singh, Population foundation of India, Blog on "The impact of covid-19 on women's reproductive health in India: Safeguarding women's rights" 28 september 2020.

Sharma P, Sharma S, Singh N. "Covid19:Endangering women's mental and reproductive health." Indian Journal of Public Health 2020. 251-260.

Singh S et al., Abortion and Unintended Pregnancy in Six Indian States: Findings and Implications for Policies and Programs, New York: Guttmacher Institute, 2018. https://doi.org/10.1363/2018.30009.

अमित सचान
एसो0 प्रोफेसर, भूगोल विभाग, पं0सुन्दरलाल मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कन्नौज (उ0प्र0)